



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विलिंग्डन आईलैंड, कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

E-mail: cochincustoms@nic.in

Fax: 0484-2668468

दिनांक 09.03.2023

कार्यालय आदेश सं. OFFICE ORDER No. 43/2023

विषय: पी ए सी स्तर पर लंबित बिल ऑफ एंट्री का पुनः आबंटन- के संबंध में।
Sub: **Re-allocation of pending Bills of Entry at PAC stage-reg.**

पश्च निकासी लेखापरीक्षा (पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट) के लंबमानता(पेंडेंसी) के परिसमापन को सहायक/ उप आयुक्त स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए, आई ए डी में तैनात उपायुक्त के अलावा, निम्नलिखित अधिकारियों को भी पश्च निकासी लेखापरीक्षा के लिए लंबित बिलों की प्रविष्टि के समाशोधन में भाग लेने के लिए निर्देशित किया जाता है:

In order to ensure the liquidation of pendency of Post Clearance Audit at Assistant/Deputy Commissioner level, in addition to the Deputy Commissioner posted to IAD, the following Officers are also directed to attend clearance of pending Bills of Entry for Post Clearance Audit:

1. श्री जॉय जोसेफ, सहायक आयुक्त, कोचिन वायु सीमा शुल्क
Shri Joy Joseph, Assistant Commissioner, Cochin Air Customs
2. श्री के. मधुकुमार, सहायक आयुक्त, कोचिन वायु सीमा शुल्क
Shri K Madhukumar, Assistant Commissioner, Cochin Air Customs
3. श्रीमती मैरीकुट्टी चाकू को, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क गृह, कोचिन
Smt. Marykutty Chacko, Assistant Commissioner, Custom House
Cochin

2. सिस्टम मैनेजर द्वारा आई सी ई एस में अधिकारियों की मैपिंग की जा सकती है ताकि उन्हें पी सी ए के लिए आई ए डी में लंबित बी/ई तक पहुँच की अनुमति प्राप्त हो

सकें। आई ए डी के प्रभारी उपायुक्त और उपर्युक्त अधिसूचित सहायक आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक बार किसी अधिकारी द्वारा पी सी ए के लिए बी/ई चुने जाने के बाद, उसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और बिना चूके उसी अधिकारी द्वारा तत्संबंधी मंजूरी दी जानी चाहिए।

The officers may be mapped in ICES by the System Manager in order to allow them access to the B/Es pending in IAD for PCA. The officers including the Deputy Commissioner in charge of IAD and above Assistant Commissioners notified herein are directed to ensure that the pendency is addressed on priority. Officers need to ensure that once a B/E is picked by an officer for PCA, the same needs to be finalised and cleared by the same officer without fail.

3. इसे आयुक्त महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of the Commissioner of Customs.

राजेश्वरी

राजेश्वरी आर. नायर **Rajeswari R. Nair**
अपर आयुक्त **Additional Commissioner**

प्रति To: संबद्ध अधिकारी Officers Concerned.

प्रतिलिपि प्रेषित opy Submitted to:

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम जोन, सी आर बिल्डिंग, आई एस प्रेस रोड, कोचिन-682018

The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone, C R Building, I S Press Road, Cochin- 682 018

प्रतिलिपि Copy to:

1. उप आयुक्त, ई डी आई(सिस्टम मैनेजर द्वारा अधिकारियों की मैपिंग करने के लिए) The Deputy Commissioner, EDI (for mapping of officers through System Manager).
2. आयुक्त की फाईल, अपर आयुक्त Commissioner's file, ADC.